फाइल सं. ए.12018/18/2018-लेप

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीसीडी अनुभाग)

विषय - क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान (आरएलटीआरआई), आस्का, ओडिशा, वार्ड अटेन्डन्ट समूह 'ग' के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबध में।

कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग के दिंनाक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान (आरएलटीआरआई), आस्का, ओडिशा, में वार्ड अटेन्डन्ट समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियों/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव, स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 753-क, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110008 या ई-मेल पर भेज सकते है।

(बैद्यनाथ प्रसाद)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061510

नई दिल्ली
दिनांक 24/2/2020

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2019

सा.का.नि.................. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1982 का, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का, ओडिशा में वार्ड एटेंडेंट (मल्टी टास्किंग स्टाफ) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का, ओडिशा में वार्ड एटेंडेंट (मल्टी टास्किंग स्टाफ) (समूह-ग) पद भर्ती नियम, 2019 होगा।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स या वेतनमान में स्तर**- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान या वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता**- वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति**- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, **अन्य पिछड़ें वर्गों**, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
वार्ड एटेंडेंट (मल्टी टास्किंग स्टाफ)	05* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	सामान्य केंद्रीय सरकार सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर-मंत्रालयी	वेतन मैट्रिक्स (18,000-56,900रु.) में स्तर-01	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण1: आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम राज्य, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला तथा चंबा जिले के पांगी उप-खंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षदीप संघ शासित प्रदेश में अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख) टिप्पण2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई भर्ती के मामले में, आयु सीमा के निर्धारण की तारीख रोजगार कार्यालय द्वारा तय की गई नाम जमा कराने की अंतिम तारीख होगी।	अनिवार्य: 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण की हो। 2. केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फर्स्ट एड प्रमाणपत्र। 3. 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में अस्पताल कार्य में एक वर्ष का अनुभव। वांछनीय:- नोट1: यदि उम्मीदवार अन्यथा सुपात्र है तो सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं। नोट2: अ.जा/अ.ज.जा वाले उम्मीदवार के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव संबंधी अर्हता शिथिल करने योग्य है, यदि चयन के किसी भी चरण पर सक्षम प्राधिकारी का यह मत हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार किए जाने हेतु) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- 1. निदेशक – क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण संस्थान, आस्का - अध्यक्ष 2.मुख्य चिकित्सा अधिकारी- क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण संस्थान, आस्का - सदस्य 3. संबंधित स्पेशियलिटी से सदस्य के रूप में लिया जाने वाला एक अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

फा.सं. ए.12018/18/2018-कुष्ठ

(वैद्यनाथ प्रसाद)
अवर सचिव, भारत सरकार